

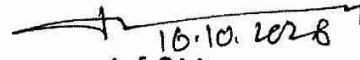
॥ कार्यालय जनपद न्यायाधीश, पौड़ी गढ़वाल ॥

प्रकीर्ण आदेश 87 / 2026

दिनांक : अक्टूबर 16, 2026

इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी प्रकीर्ण आदेश संख्या 86 / 2026, दिनांक 16.10.2026 में आंशिक संशोधन करते हुए आदेशित किया जाता है कि मेरे दिनांक 17-10-2026 की सांय से 26-10-2026 की प्रातः तक अवकाश पर रहने अथवा मुख्यालय से बाहर रहने की अवधि के दौरान, सुश्री रजनी शुक्ला अपर सत्र न्यायाधीश कोटद्वार द्वारा इस न्यायालय से सम्बन्धित अति-आवश्यक न्यायिक कार्य, रिमाण्ड एवं नियत जमानत प्रार्थना पत्र भौतिक (Physical) रूप से अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (V.C.) के माध्यम से सुने और निस्तारित किये जायेंगे।

सुश्री रजनी शुक्ला अपर सत्र न्यायाधीश कोटद्वार के दिनांक 18.10.2026 से दिनांक 20.10.2026 तक स्टेशन से बाहर रहने के दौरान अति-आवश्यक न्यायिक कार्य एवं रिमाण्ड से सम्बन्धित कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पौड़ी गढ़वाल द्वारा सम्पादित किये जाएंगे। शेष अवधि के लिए सुश्री रजनी शुक्ला, अपर सत्र न्यायाधीश, कोटद्वार द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यों का संपादन किया जायेगा।


(धर्म सिंह)
जनपद न्यायाधीश,
पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांक:- 41 / प्रशा0 / 2026

दिनांक : पौड़ी : अक्टूबर 16, 2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर सत्र न्यायाधीश, कोटद्वार।
2. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पौड़ी।
3. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पौड़ी / कोटद्वार।
4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, पौड़ी / कोटद्वार / श्रीनगर / लैन्सडाउन / सतपुली / धुमाकोट।
5. न्यायिक मजिस्ट्रेट, पौड़ी / कोटद्वार।
6. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन पौड़ी / कोटद्वार / श्रीनगर / लैन्सडाउन / सतपुली / धुमाकोट।
7. सिस्टम ऑफिसर / सिस्टम असिस्टेंट, जिला न्यायालय, पौड़ी।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
जिला जजी, पौड़ी गढ़वाल।